सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 16/2017 अपील (RCMS/2017/00165)
पंजीयन दिनांक – 18.04.2017
निर्णय दिनांक – 10.07.2018

1. श्री माना पिता श्री परसा गुर्जर, निवासी आगल गांव तहसील आमेट जिला राजसमन्द।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आमेट जिला राजसमन्द।
2. श्रीमती बदाम देवी पत्नि भंवरलाल गुर्जर, निवासी सियाणा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द।
3. पटवारी, पटवार मण्डल, जेतपुरा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द।

– रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. श्री कमलेश चौहान – वकील अपीलान्ट
2. श्री योगेन्द्र दशोरा – वकील रेस्पोडेंट–1
3. श्री सम्पत लाल बोहरा – वकील रेस्पोडेंट–3

अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर, आमेट प्रकरण संख्या 08/2016 दिनांक 11.01.2017

निर्णय

दिनांक 10.07.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर, आमेट प्रकरण संख्या 08/2016 दिनांक 11.01.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या–2 ने अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेंट संख्या–2 के पति भंवरलाल पिता नंदा गुर्जर निवासी सियाणा द्वारा उनके जीवनकाल में दिनांक 19.06.2008 को ग्राम आगल गांव में स्थित कृषि आराजी संख्या 400 रकबा 2.2200 हैक्टेयर

कृषि भूमि में से 1.7300 हैक्टेयर कृषि भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की थी। बदाम देवी के पति ने भूमि के खातेदार माना पिता परसा गुर्जर निवासी आगलगांव से कीमतन क्रय कर दिनांक 19.06.2008 को ही उप पंजीयक, सरदारगढ़ के समक्ष विक्रय पत्र निष्पादन कराया था। उक्त विक्रय पत्र के निष्पादन के पश्चात दिनांक 26.11.2008 को पटवारी द्वारा जो विक्रय पत्र का नामान्तरकरण संख्या 361 भरा गया और जिसके 20.01.2009 को फैसल किया गया था, उसमें सहवन से अथवा जानबूझकर नक्शे मे तरमीम नहीं दर्शाया गया जबकि विक्रय विलेख में क्रेता द्वारा उक्त तथ्य स्पष्ट कर दिया गया था कि उसका शेष रकबा दक्षिण की तरह स्थित है, परन्तु पटवारी हल्का द्वारा राजस्व नक्शे में उसका इन्द्राज अब तक नहीं किया गया है। जिससे बदाम देवी द्वारा ग्राम आमलगांव पटवारा हल्का जेतपुरा की आराजी संख्या 400 रकबा 2.2200 हैक्टेयर के राजस्व नक्शे में विक्रय पत्र अनुसार उत्तर तरफ खरीदशुदा भूमि क्षेत्रफल अनुसार पैमूद कराये जाने का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, आमेट द्वारा बदाम देवी रेस्पोडेंट संख्या–2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विक्रय विलेख अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने की कार्यवाही का निर्णय दिनांक 11.01.2016 पारित किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। उभय पक्ष के वकील उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में बताया कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना सुने ही उसकी भूमि के संबंध में सहखातेदार के द्वारा की गई एकपक्षीय कार्यवाही बिना अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिये न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित किया गया जो विधि के विपरित है। अपीलार्थी की उपस्थिति में विभाजन नहीं हुआ था जिसे बिना सुने कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता हैं। उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये वादग्रस्त भूमि के राजस्व नक्शे में न केवल पैमुदगी के आदेश दिये गये बल्कि इसकी आड में वादग्रस्त भूमि का विभाजन भी कर दिया गया जबकि ऐसा अनुतोष न तो मांगा गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत किया है। अन्त में अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने का अनुरोध किया है।

विद्वान अपील रेस्पोडेंट संख्या–2 ने बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या–2 ने केवल मात्र क्रयशुदा जमीन को राजस्व नक्शें में अंकन कराने हेतु निवेदन किया था क्योंकि विक्रय पत्र में क्रयशुदा आराजी के भाग का स्पष्ट

उल्लेख किया गया था, परन्तु पटवारी हल्का की गलती से वक्त नामान्तरकरण नक्शा ट्रेस में अमलदरामद नहीं किया गया जबकि क्रयशुदा भूमि पर खरीद दिनांक से रेस्पोडेंट संख्या 2 का ही कब्जा चला आ रहा है तथा विक्रयशुदा जमीन का शेष रकबा दक्षिण तरफ का अपीलान्ट का रहा तथा उस पर कब्जा अपीलान्ट का चला आ रहा है। प्रस्तुत अपील गलत आधारों पर प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखे जाने का अनुरोध किया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रय विलेख दिनांक 19.06.2008 अनुसार विक्रेता अपीलान्ट द्वारा क्रेता रेस्पोडेंट–2 को ग्राम आगलगांव की खसरा संख्या 400 रकबा 2.2200 हेक्टेयर में से 1.7300 हैक्टेयर का बेचान किया गया, विक्रय विलेख के पेज संख्या 2 अनुसार विक्रेता का शेष रकबा 0.4900 हैक्टेयर दक्षिण दिशा में रहेगा। परन्तु पटवारी हल्का की गलती से वक्त नामान्तरकरण नक्शा ट्रेस में अमलदरामद नहीं किया गया जिस हेतु रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नक्शे में तरमीम बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे विक्रय पत्र की प्रति, जमाबन्दी की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों एवं तहसीलदार, आमेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का परिक्षण उपरान्त स्वीकार कर निर्णय दिनांक 11.01.2017 को पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.01.2017 विधि सम्मत पारित किया जाना प्रतीत होता है, जिससे हम अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। सहायक कलक्टर, आमेट का आदेश दिनांक 11.01.2017 को बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर